पत्रांकः जी.एस.टी./2017-18/ 1718075 /1178 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::21, दिसम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कर अनुसंधान इकाई (TRU), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. के विभिन्न स्टेक होल्डर्स एवं व्यापार जगत से समय-समय पर प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के एच0एस0एन0 कोड और विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों के सम्बन्ध में FAQs (Frequently Asked Questions) जारी किए गए हैं, किन्तु FAQs के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, जिसके दृष्टिगत कर अनुसंधान यूनिट (TRU) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी FAQs को समेकित करते हुए इन्हें परिपत्र सं0 F.No. 332/2/2017 -TRU के माध्यम से प्रसारित किया गया है। परिपत्र के माध्यम से प्रसारित इन FAQs का विधिक महत्व है।

कर अनुसंधान इकाई (TRU), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र सं0 F.No. 332/2/2017 -TRU की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां इस परिपत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इनकी प्रतियां अपने स्तर से सभी विभागीय अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों, अधिवक्ता संगठनों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध कराते हुए, इनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

20/12/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।